न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/167

राधेश्याम आत्मज रामनारायण जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. नगरपालिका मण्डल लाखेरी द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लाखेरी ।
3. नगरपालिका मण्डल लाखेरी अध्यक्ष महोदय नगरपालिका मण्डल लाखेरी ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मोहन सिंह सोलंकी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र के क्रम में ग्राम लाखेरी की कुल 28 किता की कुल रकबा 35.12 हैक्टर भूमि नगर पालिका लाखेरी को अन्तरण किये जाने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन प्रक्रिया के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि बाबत् कोई जॉच नहीं की । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 1.25 हैक्टर के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की गई । उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आ रहा है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट को विद्युत कनेक्शन की सुविधा दी हई है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अपने खर्चे से कुआ बनाया है उसमें मोटर लगायी हुई है । इस आराजी पर

अपीलान्ट ने स्वयं के रहने के लिए व पालन पोषण के लिए मकान बनाये हुए हैं । अपीलान्ट अपने परिवार के साथ उक्त भूमि पर निवास कर रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट पेनेल्टी की राशि जमा करने के लिए गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि यह भूमि नगरपालिका को आवंटित हो गई है । इस पर प्रार्थी ने जानकारी की और दिनांक 19.01.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ।

7. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल खसरा परिवर्तनशील एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कि आवंटन प्रक्रिया के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि बाबत् कोई जॉच नहीं की । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 1.25 हैक्टर के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की गई । उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से वर्ष 1980 से काबिज चला आ रहा है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट को विद्युत कनेक्शन की सुविधा दी हई है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अपने खर्चे से कुआ बनाया है उसमें मोटर लगायी हुई है । इस आराजी पर अपीलान्ट ने स्वयं के रहने के लिए व पालन पोषण के लिए मकान बनाये हुए हैं । अपीलान्ट अपने परिवार के साथ उक्त भूमि पर निवास कर रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का नियमन का हक बनता है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । नगरपालिका द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट ने अपने कब्जे के समर्थन में पी–14 की प्रतियॉ पेश की हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन

में 1995 आरआरडी पेज 668, 1981 आरआरडी पेज 723, 1982 आरआरडी पेज 441 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.07.2003 की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आवंटित कुल 28 किता की कुल रकबा 35.12 हैक्टर भूमि नगरपालिका लाखेरी को अन्तरित की गई है । अपीलान्ट ने राज्य सरकार के परिपत्र को चैलेंज नहीं किया है । अपीलान्ट अतिक्रमी है इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ईंट भट्टे लगाये गये हैं । लोक हित में आराजी नगरपालिका लाखेरी को अन्तरित की गयी है । यदि अपीलान्ट स्वं को नियमन का पात्र मानता है तो उसे नियमन की कार्यवाही समय रहते करनी चाहिए थी । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटित आदेश दिनांक 31.01.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी का पत्र दिनांक 07.12.2011, तहसीलदार इन्द्रगढ का पत्र दिनांक 01.12.2011, नजरी नक्शे की प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 खाता संख्या 01 संलग्न है । अपीलान्ट ने अपील में आवंटन आदेश दिनांक 31.01.2013 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 799 दिनांक 31.07.2013 की प्रमाणित प्रति कुछ खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतियॉ प्रतियॉ पेश की हैं ।

12. वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी सिवायचक भूमि है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र की अनुपालना में अन्य भूमियों के साथ नगरपालिका लाखेरी को अन्तरित किया है । अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । यदि अपीलान्ट के कथन को सही माना जावे तो भी उसका कब्जा बहैसियत अतिक्रमी है । वादग्रस्त आराजी लोक हित में नगरपालिका को अन्तरित की गई है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टाण्डाई नहीं है । अतिक्रमी के कब्जे की आराजी को आंवटन के लिए उपलब्ध भूमि माना जावेगा ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश दिनांक 31.01.2013 पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा